राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2603/2011/सिरोही
अपील संख्या – 2604/2011/सिरोही
अपील संख्या – 2605/2011/सिरोही
अपील संख्या – 2606/2011/सिरोही

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
सिरोही

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अमर सिंह सौलंकी,
बिनानीग्राम (पिण्डवाड़ा)

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी.पी. ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा ये चारों अपीलें विद्वान उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 44, 45, 43 व 42/आरएसटी/10–11 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 13.05.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 30, 58, 61, 65 व राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 26, 55, 61, 65 के अन्तर्गत पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.03.2010 के द्वारा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति में से कर व ब्याज को यथावत रखते हुए, शास्ति को अपास्त कर, प्रत्यर्थी की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा इन अपीलों में शास्ति राशि को विवादित किया गया है।

2. इन चारों प्रकरणों में तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं प्रत्यर्थी व्यवहारी बिनानी सीमेन्ट लि0, बिनानीग्राम में केन्टीन का 1998 से संचालन कर रहा था। व्यवहारी द्वारा चाय, कॉफी, समोसा, कचौरी, जलेबी, खाना आदि तैयार कर उसके द्वारा विक्रय किया जाता है। व्यवहारी का पंजीयन दायित्वधीन होते हुये भी समय पर पंजीयन नहीं करवाया। सशक्त अधिकारी ने इस कृत्य को करापवंचन मानते हुए, व्यवहारी को नोटिस जारी किये। नोटिस की पालना में व्यवहारी के अ0प्र0 ने जवाब पेश किये। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक अपने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.03.2010 द्वारा व्यवहारी के विरूद्ध कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया, जनका विवरण निम्मानुसार नीचे लिखी सारणी में दर्शाया जा रहा है:–

लगातार.....2

अपील संख्या	वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	योग
2603/2011	2004–05	129720	85615	259440	474775
2604/2011	2005–06	266286	143794	532572	942652
2605/2011	2006–07	391695	164512	783390	1339597
2606/2011	2007–08	468143	140443	926286	1544872

सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने संयुक्त आदेश दिनांक 13.05.2011 द्वारा कर व ब्याज को यथावत रखते हुए, शास्ति को अपास्त की है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी–विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर ये चारों अपीलें पेश की गई है।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के संयुक्त आदेश को विधिविरूद्ध बताते हुए, सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में कायम की गई मांग राशि को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा अतः विभाग के उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरणों में व्यवहारी द्वारा केन्टीन का संचालन अपंजीकृत रहते हुए किया जा रहा था, जिस पर सशक्त अधिकारी ने कर व ब्याज आरोपित किया है तथा आलौच्य अवधि में पंजीयन दायित्वधीन होते हुए भी पंजीयन नहीं कराने पर अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत कर दायित्व की दुगुनी राशि शारित के रूप में आरोपित की है। अपीलीय अधिकारी ने मैसर्स लार्ड वेंकेटेश्वर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन जोन–I जयपुर के प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा SB Sales Tax Revision Petition No. 50, 52 व 56/66 आदेश दिनांक 30.07.2007 से कवर्ड मानते हुए शास्ति अपास्त की है व राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी हैं। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत लार्ड वेंकेटेश्वर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन जोन–I जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऐसे समान प्रकरण में शास्ति आरोपित किये जाने को उचित नहीं ठहराया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में भी व्यवसायी M/s इलेक्ट्रोलक्स महाराजा इन्टरनेशनल लिमिटेड, शाहजहांपुर के कार्मिकों हेतु केन्टीन का संचालन किया जा रहा था तथा सर्वेक्षण के दौरान व्यवहारी द्वारा पंजीयन नहीं कराये जाने व कर नही चुकाने के आधार पर प्रकरण दर्ज किया था जिसमें शास्ति के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने शास्ति को विधिसम्मत नहीं माना है। इन प्रकरणों में भी व्यवसायी द्वारा बिनाणी सीमेंट के कार्मिकों हेतु केन्टीन संचालन किया जा रहा था तथा पंजीयन नही करवाया था जिसके आधार पर शास्ति आरोपण का बिन्दु विचाराधीन है तथा न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन करने से ये प्रकरण इस न्यायिक दृष्टांत से कवर्ड हैं तथा अधीनस्थ अपीलीय अधिकारी ने शास्ति आरोपण को विधिसम्मत नहीं माना है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलें सारहीन होने के कारण, खारिज की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के संयुक्त आदेश दिनांक 13.05.2011 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य